

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक : 7 फरवरी, 2019

संख्या:-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-1763/मो0 सोहैल,भा0प्र0से0(बी एच : 2007), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर (अतिरिक्त प्रभार-बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. मो0 सोहैल अगले आदेश तक अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या:-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-1764/श्री आलोक रंजन घोष, भा0प्र0से0(बी एच : 2011), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, जहानाबाद (अतिरिक्त प्रभार-बन्दोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट- 2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें मुजफ्फरपुर जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री आलोक रंजन घोष अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या:-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-1765/श्री नवीन कुमार, भा0प्र0से0(बी एच : 2011), संयुक्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट- 2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें जहानाबाद जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री नवीन कुमार अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- संख्या:-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-1765/पटना-15,दिनांक: 7 फरवरी, 2019
प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/महालेखाकार(ले. एवं ह.) ,बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित विभाग/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित जिला पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01 एवं 06 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।